उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

तारीख दायरा
27.05.2025

तारीख फैसला
10-10-25

न्यायालय अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. हीरालाल आत्मज छीत्तरलाल उम्र वर्ष
2. गीता बाई पत्नी हीरालाल जाति मीणा निवासी भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. मांगीलाल आत्मज छीत्तरलाल
2. संजु बाई पत्नी नरेश
3. सुनिता पत्नी लोकेश जाति मीणा निवासीगण भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थी की ओर से – श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा व 212 आर0टी0एक्ट
बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थनापत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का एक वाद पत्र यानि काउन्टर क्लेम माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को पूर्णतया सफल होने की आशा है।

2– 2. यह कि ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता न0 313 नया 279 पुराना की ख0नं0 520 रकबा 1.14 हे0 ख0न0 554 रकबा 7.39 हे0. ख0नं0 714 रकबा 0.08 हे० ख0नं0 715 रकबा 0.17 हे० ख0नं0 76 रकबा 0.85 हे० ख0नं0 934 रकबा 0.20 हे0 कुल 6 किता की 9.83 है० भूमि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण की खातेदारी में स्थित चली आ रही है। नकल जमाबंदी संलग्न है।

3. यह कि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण में मौखिक मौखिक बंटवारा करते हुए अपनें–अपनें हिस्से की भूमि जौत हेतु दे दी थी और प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

आराजी को प्रतिपक्षगण बिना विभाजन कराये उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, ओर प्रार्थीगण के कब्जे कास्त मे व्यवधान पैदा करते प्रतिपक्षीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

कि प्रतिपक्षीगण आए दिन प्रार्थीगण के कब्जे कास्त मे व्यवधान पैदा करते रहते जबरन प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने पर आमदा है जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। ओर प्रार्थीगण को शान्तिप्रीय कास्त करने नही देते है।

6. यह कि प्रार्थीगण नें प्रतिपक्षीगण से तहसील में चलकर मौके पर काबिज अनुसार भूमि का बंटवारा करने हेतु कहा तो प्रतिपक्षीगण नाराज हो गये तथा भूमि को बैचान करने की धमकी दी।

7. यह कि वाद कारण दिनांक 22/05/2025 को प्रार्थीगण द्वारा प्रतिपक्षीगण से उक्त भूमि में अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी अनुसार बंटवारा करानें की कहनें ओर प्रार्थीगण के कब्जे कास्त मे व्यवधान पैदा नही करने बाबत कहने पर तथा प्रतिपक्षीगण द्वारा इंकार करनें पर उत्पन्न हुआ।

8. यह कि प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होनें की पूर्ण संभावना है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ता फैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रत्यर्थीगण ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता न0 313 नया 279 पुराना की ख0नं0 520 रकबा 1.14 हे० ख0नं0 554 रकबा 7.39 हे०, ख०नं० 714 रकबा 0.08 हे0. ख0नं0 715 रकबा 0.17 हे०, ख0नं0 76 रकबा का 0.85 हे०. ख0नं0 934 रकबा 0.20 हे0 कुल 6 किता की 9. 83 है० भूमि को रहन, वैचान, खुर्द बुर्द नहीं करें प्रार्थीगण के कब्जे कास्त में व्यवधान पैदा नही करे व राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न अपनें प्रतिनिधि से करावें।

प्रार्थी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1— नकल जमाबंदी ग्राम भाण्डाहेडा खाता सं0 नया 313 संवत 2075—78

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन किया किः—

1— यह कि प्रार्थीगण ने सर्वथा असत्य तथ्यों के आधार पर वास्तकिता छिपा कर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया हे जो खारिज होने योग्य है।

2— यह कि प्रार्थीगण को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। वाद कारण के अभाव में दावा व प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज होने योग्य है।

3—यह कि प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि का प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 1 ता 3 के मध्य आपसी पारिवारिक विभाजन दिनाक 11—6—1998 को हो गया था जिसके अनुसार खसरा नम्बर 554 की 7—39 हेक्टर व खसरा नम्बर 934 की 0—20 हेक्टर कुल दो किता

अधिकारी

भूमि प्रतिपक्षी न0 1 2 3 के हिस्से में आती। तथा प्रार्थीगण के हिस्से में [illegible] की 1 14 हेक्टर खसरा नम्बर 714 की 0 08 हेक्टर खसरा नम्बर 7[illegible] खसरा नम्बर 76 की 0 85 हेक्टर कुल 4 किता की 2 24 हेक्टर भूमि इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस कारण प्रार्थीगण [illegible] से अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

यह कि प्रतिपक्षी न0 1 ने विवादित भूमि का पारिवारिक विभाजन के अनुसार भूमियो का विभाजन किये जाने हेतु व अन्य भूमि का विभाजन किये जाने हेतु पहले से ही वाद विभाजन पेश किया हुआ है। जिसमें समान पक्षकार है। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

5 यह कि ग्राम भाण्डा हेडा के खातासं0 381 की खसरा नम्बर 137 की 5 21 हेक्टर खसरा नम्बर 143 की 1–17 हेक्टर, खसरा नम्बर 144 की 1 25 हेक्टर कुल 3 किता की 7–63 हेक्टर भूमि का वादी व प्रतिवादी नं० 1 ता 4 के मध्य आपसी पारिवारिक विभाजन दिनाक 11–6–1998 को हो गया था उक्त तीनों खसा नम्बर वादी मागीलाल को प्राप्त हुयी है। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमियो को शामिल किये बिना विभाजन नहीं किया जा सकता।

5– यह कि प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया व बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है।

इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के प्रावधानानुसार किसी भी न्यायिक प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पूर्व निम्न बिन्दुओं का परीक्षण किया जाना आवश्यक है –

1. क्या यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है।
2. क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है।

प्रथम दृष्ट्या मामला – किसी न्यायिक राजस्व प्रकरण को देखते ही अर्थात (पहली नजर में) यदि ऐसा प्रतीत हो कि प्रार्थी भी विवादित आराजी में संभावित हकदार हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण को देखने पर हम पाते है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा केवल स्वयं के हिस्से पर स्थगन चाहा गया है अतः विवादित आराजी में अप्रार्थीगण का नाम खातेदार के रूप मे दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर उक्त विवादित आराजी को खुर्द बुर्द किये जाने की असीम संभावनाओं को देखते हुये यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है।

सन्तुलन – किसी विवादित आराजी पर कब्जा होने के आधार पर सन्तुलन उसके पक्ष में कहा जा सकता है। वैसे भी काश्तकारी अधिनियम की धारा अनुसार कब्जे के अभाव में, जब तक विवादित आराजी स्वयं की संयुक्त में दर्ज नहीं हो तो उस आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का भी कब्जा होने से सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षति होना – किसी विवादित आराजी पर किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं किये जाने तथा अन्य पक्ष द्वारा उस आराजी को खुर्द बुर्द कर देने की संभावना होने तथा इस प्रकार खुर्द बुर्द किये जाने से होने वाली क्षति की पूर्ति होना संभव नहीं हो तो इसे प्रार्थी की अपूरणीय क्षति कहा जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण दोनों का ही नाम है तथा दोनों का ही कब्जा है किन्तु आधिकारिक बंटवारा नहीं होने से भूमि खुर्द बुर्द होने की संभावना है तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना संभावित है।

उपरोक्तानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा आदेश 40 नियम 1 के प्रावधानानुसार विवादित आराजी पर कब्जे के आधार पर यह (प्रार्थी) का प्रथम दृष्ट्या मामला होने व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा प्रार्थी का कब्जा हटाये जाने की स्थिति में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की अधिकतम संभावना को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र वादीगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम भाण्डाहेडा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता न0 313 नया 279 पुराना की ख0नं0 520 रकबा 1.14 हे० ख0नं0 554 रकबा 7.39 हे०, ख०नं० 714 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 715 रकबा 0.17 हे०, ख0नं0 76 रकबा का 0.85 हे०. ख0नं0 934 रकबा 0.20 हे0 कुल 6 किता की 9. 83 है० भूमि में से प्रार्थी के हिस्से की भूमि को ताफैसला वाद रहन, बेचान नहीं करने तथा रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)